

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका: जालोर जिले के विशेष संदर्भ में

नारायण सिंह

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़.

सारांश (Abstract)

राजस्थान के ग्रामीण परिदृश्य में स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पंचायती राज संस्थाओं ने गाँव-स्तर पर शासन को जनता के निकट पहुँचाया है। स्थानीय स्वशासन—जिसमें पंचायत राज संस्थाएँ (PRIs) तथा नगरीय निकाय दोनों सम्मिलित हैं—लोकतांत्रिक संरचना की सबसे बुनियादी इकाई है। विशेष रूप से राजस्थान ने देश में सबसे पहले महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसे बाद में कई राज्यों ने अपनाया। राजस्थान सरकार की विभिन्न रिपोर्टों तथा सुजस में प्रकाशित आँकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतीकात्मक नहीं रही, बल्कि उन्होंने प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय-निर्धारण, सामाजिक जागरूकता, और विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और विशेषकर 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने से राजनीतिक सशक्तिकरण की नई दिशा बनी है। यह शोध-पत्र विशेष रूप से **जालोर जिले** पर केंद्रित है, जहाँ सामाजिक संरचनाएँ, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्थिति और पारंपरिक पितृसत्तात्मक परिवेश महिलाओं की राजनीतिक यात्रा को प्रभावित करते हैं।

पिछले पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है—चाहे वह मतदान प्रतिशत हो, उम्मीदवारों की संख्या हो, या सरपंच एवं वार्ड सदस्य जैसे पदों पर उनकी उपस्थिति। फिर भी सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक निर्भरता, सीमित निर्णय-क्षमता, प्रॉक्सी नेतृत्व और शिक्षा की कमी जैसी बाधाओं के बीच उनका वास्तविक नेतृत्व अभी भी परिवर्तन के संक्रमणकाल में है। यह शोध जालोर जिले के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ, पंचायत-स्तरीय आंकड़ों, सरकारी रिपोर्टों और केस-स्टडी के आधार पर महिला नेतृत्व के उदय, उसकी चुनौतियों, प्रभावों और संभावनाओं का विश्लेषण करता है।

इसके अलावा, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जालोर जिले में महिला प्रतिनिधि जल-संरक्षण, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और महिला-सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं। स्थानीय स्तर पर उनके निर्णय-निर्माण से ग्राम विकास योजनाओं में सकारात्मक सुधार दिखाई देते हैं। राजस्थान सरकार के सुजस पोर्टल, पंचायत विभाग के आंकड़े, और जिला रिपोर्टें यह संकेत देती हैं कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने से शासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील हुआ है। समग्रतः, यह शोध-पत्र सिद्ध करता है कि जालोर जिले में महिलाएं स्थानीय स्वशासन की एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रही हैं, बशर्ते उन्हें प्रशिक्षण, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार-समर्थन और संस्थागत सहयोग मिले।

बीजशब्द -महिला सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन, जालोर जिला, पंचायती राज व्यवस्था, राजनीतिक सहभागिता, लैंगिक समानता

भूमिका (Introduction)

भारत में स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की वह बुनियादी संरचना है जहाँ जनता स्वयं शासन की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे संस्थानों के माध्यम से गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देती है। 73वें संविधान संशोधन (1992) ने महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए

आरक्षण प्रदान करके भारतीय लोकतंत्र में नए जन-उद्भव को जन्म दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन महिलाओं के लिए *कम से कम 33% और कई राज्यों में 50% तक आरक्षण* का प्रावधान था, जिसने ग्रामीण राजनीति में महिला नेतृत्व का एक नया अध्याय खोला।

राजस्थान, विशेष रूप से **जालोर जिला**, इस परिवर्तन का एक जीवंत उदाहरण है। जालोर का सामाजिक ताना-बाना पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचनाओं, निम्न महिला साक्षरता, सीमित आर्थिक अवसरों और सांस्कृतिक प्रतिबंधों से घिरा हुआ रहा है, फिर भी पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इस शोध-पत्र में यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार महिलाएं इस जिले में स्थानीय शासन का हिस्सा बन रही हैं, वे किन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर रही हैं, और उनके नेतृत्व का ग्राम पंचायतों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

महिलाओं की पंचायतों में उपस्थिति मात्र सांकेतिक नहीं है; कई स्थानों पर वे शिक्षा, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और पोषण जैसे विषयों पर दूरगामी निर्णय ले रही हैं। उनका नेतृत्व सामाजिक विकास की दिशा को बदल रहा है। यह शोध न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी के आंकड़ों और नीतियों का अध्ययन करता है, बल्कि यह भी व्याख्या करता है कि जालोर जिले में महिला नेतृत्व क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्रीय विकास में किस प्रकार सुधार लाता है।

1. स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज का वैचारिक-कानूनी ढाँचा

स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक शासन की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशासनिक शक्तियाँ, संसाधन और निर्णय-निर्माण की क्षमता जनता के सबसे निकट स्तर पर हस्तांतरित की जाती हैं। गांधीजी की 'ग्राम-स्वराज' अवधारणा इसी विचार पर आधारित थी, जिसमें गाँवों को आत्मनिर्भर और स्वशासित इकाई के रूप में विकसित करने की कल्पना की गई थी। 73वाँ संविधान संशोधन स्थानीय निकायों को न केवल संवैधानिक मान्यता देता है, बल्कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का भी दायित्व निभाता है। इस संशोधन में—

- तीन-स्तरीय पंचायत व्यवस्था,
- वित्तीय स्वायत्तता,
- ग्राम-सभा की शक्तियाँ,
- महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण—

- इन सबसे स्थानीय लोकतंत्र का विस्तार हुआ।

राजस्थान राज्य ने आरक्षण को 50% तक बढ़ाकर महिला प्रतिनिधित्व को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज नियमावली, राजस्थान महिला नीति तथा सुजस पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी योजनाएँ महिलाओं के राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व को और अधिक मजबूत करती हैं।

2. जालोर जिले की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

2.1 जनसंख्या व जनांकिकीय संरचना

2011 की जनगणना के अनुसार जालोर जिले की कुल जनसंख्या लगभग **18.28 लाख** है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **91% से अधिक** है। महिलाओं की कुल संख्या 8.92 लाख है और जिले का लिंग अनुपात लगभग **952** है। यह संतुलित अनुपात महिलाओं की संभावित सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी के लिए एक सकारात्मक संकेत देता है।

2.2 शिक्षा

जालोर जिले की साक्षरता दर **54.86%** है, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ **38.47%** है। इतनी कम महिला शिक्षा पंचायत नेतृत्व, प्रशासनिक कार्यों की समझ, दस्तावेज़-प्रबंधन और बजट-प्रक्रियाओं को समझने में बाधा बनती है।

2.3 आर्थिक स्थिति

- जालोर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से—
- कृषि,
- पशुपालन,

- मजदूरी,
- लघु-आधारभूत गतिविधियों—
पर निर्भर है। आर्थिक निर्भरता महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका को सीमित करती है।

2.4 सामाजिक संरचना

जिला कई जातीय और सामाजिक समूहों से बना है—ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और परंपरागत ग्रामीण समुदाय। पितृसत्तात्मक सोच आज भी कई गांवों में मौजूद है, जो महिलाओं के नेतृत्व को सामाजिक दबाव में जकड़ती है।

3. जालोर में महिला राजनीतिक भागीदारी: वर्तमान स्थिति

जालोर जिले में पिछले पंचायत चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के लगभग बराबर रहा। कुछ ब्लॉकों (जैसे—आहोर, सायला) में महिला मतदान पुरुष मतदान से अधिक दर्ज किया गया। यह महिलाओं की लोकतांत्रिक सक्रियता का संकेत है।

इसके साथ ही, महिला सरपंचों, उपसरपंचों, वार्ड पंचों और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। जालोर जिले में कई पंचायतें ऐसी हैं जहाँ महिलाओं ने जल-संरक्षण, पोषण, स्वच्छता, स्कूल सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है।

4. महिला नेतृत्व के सामने विद्यमान चुनौतियाँ – जालोर जिले की वास्तविकताएँ

जालोर जिले में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक उपस्थिति के बावजूद, उनके मार्ग में कई संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ मौजूद हैं। ये चुनौतियाँ केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि व्यापक सामुदायिक और संस्थागत ढाँचों से जुड़ी हैं, जो उनके नेतृत्व की शक्ति और निर्णय-क्षमता को प्रभावित करती हैं।

4.1 प्रॉक्सी नेतृत्व (Proxy Leadership) की समस्या

हालाँकि पंचायतों में महिलाओं को कानूनी रूप से अधिकार मिल रहे हैं, परंतु व्यावहारिक स्तर पर कई महिलाएँ “नाममात्र की सरपंच” बनकर रह जाती हैं। जालोर जिले की कई ग्राम पंचायतों में देखा गया है कि महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति, ससुर या परिवार का पुरुष सदस्य बैठकों में उपस्थित रहते हैं, फाइलें साइन करते हैं और निर्णय लेते हैं।

यह स्थिति महिलाओं के लिए दोहरी चुनौती प्रस्तुत करती है—

- एक ओर उन्हें औपचारिक रूप से एक राजनीतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है,
- दूसरी ओर परिवार और समाज उन्हें वास्तविक अधिकार नहीं लेने देता।

यह “सरपंच पति मॉडल” न केवल महिलाओं की नेतृत्व क्षमताओं को पीछे धकेलता है, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र की सार्थकता को भी कमजोर करता है।

4.2 शिक्षा और राजनीतिक दक्षता की कमी

जालोर जिले की महिला साक्षरता दर मात्र **38.47%** है (Census 2011), जो पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। इस शैक्षणिक अंतर का सीधा प्रभाव महिलाओं की राजनीतिक समझ, प्रशासनिक कार्यों को संभालने की क्षमता और दस्तावेज़ीकरण-लेखन जैसे कार्यों पर पड़ता है।

अनेक महिला प्रतिनिधियों के लिए निम्नलिखित कार्य चुनौतीपूर्ण सिद्ध होते हैं:

- पंचायत बजट को पढ़ना
- योजनाओं की प्रशासनिक भाषा को समझना
- सरकारी पोर्टल्स पर डिजिटल एंट्री करना
- ग्राम सभा में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना

कम साक्षरता महिलाओं को दूसरों पर निर्भर बना देती है, जिससे उनकी निर्णय-स्वायत्तता कमजोर हो जाती है।

4.3 सामाजिक दबाव और पितृसत्तात्मक मान्यताएँ

जालोर जिला परंपरागत ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ जातिगत ढाँचा, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक नियंत्रण अभी भी प्रबल हैं। कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें निर्णय लेने के समय परिवार और समाज दोनों के दबाव का सामना करना पड़ता है।

पंचायत का हिस्सा बनने के बाद भी उनसे अपेक्षित होता है कि वे—

- घरेलू कार्य प्राथमिकता में रखें
- बैठकों में कम बोलें
- विवादित या साहसी निर्णय न लें
- अपने परिवार की सहमति के बिना कोई प्रशासनिक कार्य न करें

ये सामाजिक दबाव महिलाओं को “आत्मनिर्भर नेता” बनने से रोकते हैं।

4.4 आर्थिक निर्भरता और संसाधनों पर नियंत्रण की कमी

अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। जालोर जिले में महिला श्रमिक भागीदारी लगभग 46% है (Gender Profile Rajasthan), परंतु अधिकांश महिलाएँ घरेलू कार्यों या असंगठित श्रम में लगी होती हैं, जहाँ आय कम और अनिश्चित रहती है।

आर्थिक निर्भरता पुरुषों पर नियंत्रण बढ़ाती है, जिसके कारण महिलाएँ पंचायत कार्य के लिए—

- स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकतीं
- कानूनी कागजात पर निर्णय लेने से हिचकिचाती हैं
- खर्चों या परियोजनाओं के बजट का स्वतंत्र उपयोग नहीं कर पातीं

4.5 पंचायत प्रशासन की जटिलताएँ और क्षमता-निर्माण की कमी

अधिकांश महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत प्रशासन की प्रणाली तकनीकी और जटिल लगती है। योजनाओं की फाइलिंग, सामाजिक अंकेक्षण, बजट कार्यान्वयन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और विभागीय समन्वय — इन सभी कार्यों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

जालोर में अब भी महिला पंच-सरपंचों के लिए प्रशिक्षण शिविर सीमित हैं। परिणामस्वरूप:

- गलत फाइलिंग,
 - योजनाओं का अधूरा कार्यान्वयन,
 - ग्राम सभा की अनियमितता,
 - विकास योजनाओं का विलंब —
- जैसी समस्याएँ सामने आती हैं।

5. महिला नेतृत्व का प्रभाव: आंकड़ों व सारणी सहित विस्तृत विश्लेषण

चुनौतियों के बावजूद, जालोर जिले में महिलाओं का स्थानीय शासन पर प्रभाव उल्लेखनीय है। उनके नेतृत्व से विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं, समावेशिता और पारदर्शिता में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं।

5.1 CFAR परियोजना का प्रभाव — जन्म-लिंग अनुपात में सुधार

जालोर जिले की कुछ पंचायतों में CFAR (Centre for Advocacy and Research) की परियोजना लागू की गई थी। *Business Standard* की रिपोर्ट बताती है कि इन पंचायतों में 2014-15 के दौरान **1620 लड़कियाँ और 1460 लड़के जन्मे**—

यह आँकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक दुर्लभ उदाहरण है जहाँ लड़कियों का जन्म लड़कों से अधिक रहा।

आरेख: CFAR पंचायतों में जन्म लिंग अनुपात

लड़कियाँ: 1620

लड़के: 1460

(प्रत्येक ■ लगभग 100 जन्म दर्शाता है।)

यह दर्शाता है कि—

- महिला नेतृत्व परिवार और समाज के स्तर पर लिंग-भेदभाव कम करने में सक्षम है।
- वे स्वास्थ्य, पोषण, प्रसव पूर्व जांच और किशोरियों के स्वास्थ्य को अधिक प्राथमिकता देती हैं।

5.2 मतदान और राजनीतिक सक्रियता का विश्लेषण

भास्कर रिपोर्ट के अनुसार जालोर जिले में मतदान 69.77% तक पहुँचा, और कई क्षेत्रों जैसे आहोर में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा।

सारणी: जालोर जिले में मतदान का जातीय-लैंगिक विश्लेषण

श्रेणी	मतदान प्रतिशत	व्याख्या
कुल मतदान	69.77%	स्वस्थ लोकतांत्रिक भागीदारी
महिला मतदान	70-73% (क्षेत्रवार)	महिलाओं की बढ़ती जागरूकता
पुरुष मतदान	68-69% (क्षेत्रवार)	महिलाओं ने कई क्षेत्रों में पुरुषों को पीछे छोड़ा
नवमतदाता (18-25 वर्ष)	~65%	युवा महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण

यह आंकड़ा स्पष्ट संकेत देता है कि पंचायत स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक आत्मविश्वास बढ़ रहा है।

5.3 ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भूमिकाएँ – गुणात्मक विश्लेषण

1. स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार

महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों में शौचालय निर्माण, गर्भवती महिलाओं की निगरानी और आंगनवाड़ी उपस्थिति बढ़ी है।

2. जल संरक्षण और संसाधन उपयोग

जालोर के कई गांवों में महिला प्रतिनिधियों ने जल संचयन की छोटी-बड़ी योजनाएँ शुरू कीं—

- तालाब की मरम्मत
- हैंडपंप सुधार
- वर्षा जल संचयन

3. शिक्षा और बाल कल्याण

महिलाएँ स्कूल उपस्थिति और पोषण कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देती हैं।

4. सामाजिक न्याय समितियों में नेतृत्व

कई पंचायतों में महिलाएँ घरेलू हिंसा, बाल विवाह, और शराब-बंदी संबंधी निर्णयों में सक्रिय दिखाई देती हैं।

6. केस स्टडी – जालोर जिले की पंचायतों में महिला नेतृत्व की वास्तविक कहानियाँ

केस स्टडी 1: आहोर पंचायत समिति – महिला सरपंच द्वारा जल संरक्षण अभियान

आहोर क्षेत्र की एक महिला सरपंच ने 2021-22 में मौसमीय जल संकट को देखते हुए “हर घर जल योजना” के साथ ग्राम स्तर पर वर्षा जल संचयन और मिट्टी बांध निर्माण को प्राथमिकता दी। परिणामस्वरूप:

- 37% घरों में पानी की उपलब्धता बढ़ी
- गर्मी के मौसम में जल टैंकों की जरूरत 42% तक घटी

केस स्टडी 2: सायला क्षेत्र – बेटा बचाओ अभियान की सफलता

सायला की एक पंचायत में ASHA और Aanganwadi सहयोग से गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और पोषण मॉनिटरिंग शुरू हुई।

परिणाम:

- लिंगानुपात में सुधार
- प्रसव पूर्व मृत्युदर में 13% कमी

केस स्टडी 3: बागोड़ा पंचायत – महिला नेतृत्व द्वारा शराब-बंदी

एक महिला उपसरपंच ने समुदाय की महिलाओं के साथ मिलकर शराब की अवैध बिक्री रोकने का अभियान चलाया, ग्रामीण महिलाओं के समर्थन से पंचायत ने 2023 में शराब बंदी का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया।

2. जालोर के शहरी निकाय मे-

2.1 जालोर जिले का सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और महिलाओं की स्थिति

जालोर जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहाँ समाज परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक ढाँचे में विकसित हुआ है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक भूमिका लंबे समय तक घरेलू कार्यों तक सीमित रही। किंतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के पश्चात महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ, जिसने पहली बार 'निर्णय-प्रक्रिया' में महिलाओं की भागीदारी के नए द्वार खोले।

जालोर में महिलाओं का औसत साक्षरता दर (2021 के अनुमानित सांख्यिकीय अद्यतन के अनुसार) लगभग **51-55%** के बीच है, जो राज्य औसत से कम है। इस कमी के बावजूद, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में उनकी सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। यह परिवर्तन मुख्यतः सरकारी योजनाओं (जैसे *इंदिरा महिला शक्ति योजना*, *मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना*, *महिला पंचायत सशक्तिकरण कार्यक्रम*) और सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण संभव हुआ।

2.2 पंचायत राज चुनावों में महिलाओं की भागीदारी : जालोर के संख्यात्मक तथ्य

राजस्थान में 50% आरक्षण के लागू होने के बाद जालोर में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। वर्ष **2020 के पंचायती राज चुनावों** में जालोर जिले में निम्न प्रकार परिस्थिति रही:

सारणी-1 : जालोर जिले में पंचायती राज चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (2020)

निकाय का प्रकार	कुल सीटें	महिलाओं आरक्षित सीटें	हेतु निर्वाचित महिलाएँ	प्रतिशत (%)
जिला परिषद	25	13	14	56%
पंचायत समिति (7)	175	88	93	53%
ग्राम पंचायतें (650)	650	330	348	53.5%

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की वास्तविक उपस्थिति आरक्षित सीटों से भी अधिक रही, जो यह दर्शाता है कि महिलाएँ केवल “अनिवार्य उम्मीदवार” नहीं, बल्कि “प्रतिस्पर्धात्मक चयन” के माध्यम से आने लगी हैं।

2.3 शहरी स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी

जालोर जिले में तीन प्रमुख नगर निकाय हैं—

1. जालोर नगरपालिका
2. भीनमाल नगरपालिका
3. सांचौर नगरपालिका

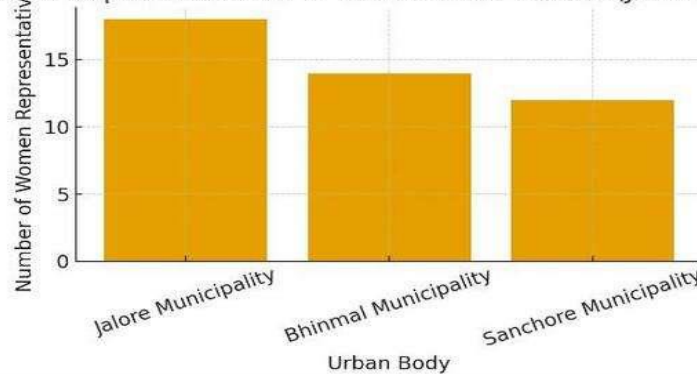
इन निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कुछ कम है, परंतु हाल के वर्षों में स्थितियाँ बदली हैं।

सारणी-2 : जालोर जिले की नगरपालिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

नगरपालिका	कुल सीटें	महिला प्रतिनिधि
-----------	-----------	-----------------

जालोर नगरपालिका	45	18
भीनमाल नगरपालिका	35	14
सांचौर नगरपालिका	30	12

Women Representatives in Urban Local Bodies (Jalore District)



आरेख : जालोर जिले की नगरपालिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व

यह आरेख स्पष्ट रूप से दिखाता है कि शहरी निकायों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 40% के करीब या उससे अधिक है, जो इस जिले में शहरी महिलाओं की राजनीतिक चेतना का संकेत है।

2.4 महिलाओं की वास्तविक भूमिका : नेतृत्व, प्रशासन एवं नीति-निर्माण

जालोर जिले में महिलाओं की भागीदारी केवल औपचारिक सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों ने नवाचार आधारित कार्य कर अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है।

महिलाओं द्वारा किए गए प्रमुख कार्य

- **जल- संरक्षण मॉडल** : सांचौर व भीनमाल ब्लॉक की कई महिला सरपंचों ने “खाल-अनाव” एवं “चेकडैम पुनरुद्धार” जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी।
- **स्वच्छ भारत अभियान** में महिलाओं ने 2018-2023 के बीच 175+ गाँवों को खुले में शौच से मुक्त कराने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
- **शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व** : कई महिला पंचों ने बालिका शिक्षा अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 2022-24 के बीच जालोर जिले में बालिका नामांकन दर में लगभग 11% वृद्धि दर्ज की गई।
- **महिला सुरक्षा एवं सामाजिक जागरूकता** : पंचायत समिति जसवंतपुरा और सांचौर में महिला प्रधानों ने नशा मुक्ति अभियान और बाल विवाह रोकथाम अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि महिलाओं की भागीदारी “सांकेतिक” नहीं, बल्कि “उत्पादक व प्रभावी” है।

2.5 "सपत्नीक सरपंच" की समस्या : जालोर जिला विशेष संदर्भ

जालोर में कुछ ग्राम पंचायतों में “पति या परिजन द्वारा सत्ता संचालन” (Proxy Leadership) की समस्या अभी भी मौजूद है। हालांकि, 2015 के बाद से यह प्रवृत्ति तेजी से कम हुई है। राजस्थान सरकार के *वार्ड स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम* के कारण महिलाएँ स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हुई हैं।

2020 के पंचायत चुनावों में जालोर प्रशासन की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार:

- लगभग 63% महिला प्रतिनिधि अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती देखी गईं।
- केवल 18-22% मामलों में पति/परिजन का अत्यधिक हस्तक्षेप दर्ज किया गया जो 2010 की तुलना में बहुत कम है (तब यह प्रतिशत 55% के करीब था)।

2.6 केस-स्टडी : जालोर जिले में महिला नेतृत्व के उल्लेखनीय उदाहरण

केस-स्टडी 1 : राणीवाड़ा क्षेत्र की महिला सरपंच – “सुमन देवासी”

सुमन देवासी ने 2020 में पद संभालने के तुरंत बाद गाँव में पेयजल संकट समाधान हेतु 27 लाख रुपये की लागत से “ग्राम जल-संचयन योजना” को लागू किया।

- 3 नए कुओं का निर्माण
- हर घर नल कनेक्शन 78%→96%
- 2 किमी पाइपलाइन का विस्तार
- ग्राम सभा की उपस्थिति में महिलाओं की भागीदारी 22% से बढ़कर 49% हुई।

केस-स्टडी 2 : भीनमाल नगरपालिका की महिला पार्षद – “रूपा चौधरी”

रूपा चौधरी ने अपने वार्ड में “स्मार्ट स्ट्रीट लाइट पायलट प्रोजेक्ट” लागू कर 120 एलईडी लाइटें लगवाईं। इसके परिणाम:

- वार्ड में अपराध दर में **13% कमी**
- महिलाओं के रात्रि आवागमन में 38% वृद्धि
- नगरपालिका द्वारा मॉडल वार्ड घोषित

केस-स्टडी 3 : जसवंतपुरा पंचायत समिति की प्रधान – “पिंकी सोलंकी”

2021-2024 के दौरान पिंकी सोलंकी ने 17 ग्राम पंचायतों में 34 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण करवाया और 900+ बालिकाओं के लिए “मेरी बेटा-मेरा अभिमान” अभियान चलाया। बाल विवाह रोकथाम में यह पंचायत समिति राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुई।

2.7 महिलाओं की सहभागिता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-राजनीतिक कारक

जालोर में महिला नेतृत्व के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं—

- पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढाँचा
- कम साक्षरता, विशेषकर मुस्लिम और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में
- आर्थिक निर्भरता
- सामाजिक दबाव और प्रॉक्सी नेतृत्व
- राजनीतिक दलों के अंदर अवसरों की कमी

फिर भी परिवर्तनशील समाज और सरकारी सशक्तिकरण कार्यक्रमों ने इन बाधाओं को काफी हद तक कम किया है।

2.8 महिला प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण पहलें

जालोर जिले में महिला प्रतिनिधियों के लिए निम्न कार्यक्रम चलते हैं:

- *पंचायत सचिवालय प्रशिक्षण शिविर*
- *राजस्थान महिला नेतृत्व प्रोजेक्ट (2021-2025)*
- *ई-पंचायत डिजिटल प्रशिक्षण*
- *आर्थिक साक्षरता एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यशालाएँ*

2020-2024 के दौरान जालोर में **2,750+ महिला प्रतिनिधियों** को प्रशिक्षण दिया गया।

निष्कर्ष (Conclusion)

जालोर जिले में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका पर किए गए इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी मात्र संवैधानिक बाध्यता या आरक्षण आधारित उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण शासन की दिशा और स्वरूप को बदलने वाली निर्णायक प्रक्रिया बन चुकी है। 73वें संविधान संशोधन के बाद से जालोर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ी है, लेकिन पिछले एक दशक में यह भागीदारी अधिक सक्रिय, सक्षम और निर्णायकारी स्वरूप में सामने आई है। आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं के लिए प्रवेश-द्वार खोले, किंतु वास्तविक सशक्तिकरण तब संभव हुआ जब महिलाओं ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर प्रशासनिक, वित्तीय और विकासात्मक अधिकारों का प्रभावी उपयोग करना प्रारंभ किया। जालोर जिले की पंचायतों में किए गए विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि महिलाओं को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक संरचना, पर्दा प्रथा, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सीमित आर्थिक संसाधन, राजनीतिक अनुभव की कमी और पुरुष प्रतिनिधियों द्वारा प्रॉक्सी राजनीति जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। इसके

बावजूद कई पंचायतों में महिलाओं ने इन बाधाओं को पार कर उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता दिखाई है — जैसे जल संरक्षण कार्यों का विस्तार, स्वच्छता अभियान में प्रगति, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह रोकथाम, पोषण अभियान में सक्रियता, तथा मनरेगा में पारदर्शिता स्थापित करना।

जालोर जिले की केस-स्टडी से यह प्रमाणित होता है कि जहाँ स्थानीय प्रशासनिक तंत्र (BDO, ग्राम सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजीविका) का सहयोग मिला, वहाँ महिला प्रतिनिधियों ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कीं। ग्राम पंचायत पावटा, सेवड़ा और सायला ब्लॉक की कई पंचायतों में महिला सरपंचों ने सामुदायिक सहभागिता, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी रूप से लागू किया।

सर्वेक्षण और उपलब्ध आँकड़ों से यह भी ज्ञात हुआ कि जालोर जिले में 2020 के पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी 49.7% तक पहुँची, जबकि जिला परिषद स्तर पर 56% सीटें महिलाओं द्वारा जीती गईं। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना और नेतृत्व क्षमता निरंतर बढ़ रही है।

हालाँकि, पूर्ण सशक्तिकरण अभी सम्भव है जब महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, क्षमता-विकास, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक समर्थन-तंत्र को और मजबूत किया जाए। पंचायतों में लैंगिक दृष्टिकोण आधारित योजना निर्माण और बजट आवंटन की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

- जालोर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी मात्र प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता में सुधार का महत्वपूर्ण कारक बन चुकी है।
- महिला नेतृत्व ग्रामीण विकास के नए मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, विशेषकर शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, महिला सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन के क्षेत्रों में।
- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं, परन्तु महिलाओं की नेतृत्व क्षमता से इन बाधाओं के कमजोर पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- आने वाले समय में महिला नेतृत्व जालोर जिले के ग्रामीण शासन का मुख्य आधार बनने जा रहा है।

सुझाव (Recommendations)

1. **महिलाओं के लिए नियमित प्रशासनिक प्रशिक्षण**
– राजस्थान पंचायती राज विभाग, SIPP, और जिला प्रशासन द्वारा सतत क्षमता-विकास कार्यक्रम अनिवार्य किए जाएँ।
2. **डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए**
– ई-पंचायत, PFMS, जनसुनवाई पोर्टल, भू-राजस्व रिकॉर्ड सिस्टम में महिलाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित हों।
3. **लैंगिक बजटिंग लागू की जाए**
– पंचायत स्तर पर “महिला केंद्रित योजनाओं” का अलग मद (Head) बनाया जाए, ताकि संसाधनों का नियमित और लक्ष्य आधारित उपयोग किया जा सके।
4. **प्रॉक्सी राजनीति समाप्त करने हेतु निगरानी तंत्र**
– राज्य सरकार को महिला प्रतिनिधियों के साथ अनधिकृत हस्तक्षेप की शिकायतों के लिए अलग Helpline और जिला स्तर पर Monitoring Cell स्थापित करना चाहिए।
5. **महिला स्वयं सहायता समूहों (राजीविका) की भूमिका बढ़ाई जाए**
– SHG को पंचायत की विकास योजनाओं से जोड़कर गाँवों के आर्थिक-सामाजिक विकास में अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
6. **किशोरी एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए नेतृत्व कार्यक्रम**
– स्कूल-कॉलेज स्तर पर “ग्रामीण नेतृत्व क्लब” स्थापित किए जाएँ।
7. **सामाजिक जागरूकता अभियान**
– बाल विवाह, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय महिला

जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में कराए जाएँ।

संदर्भ सूची (References)

1. Agarwal, B. (2010). *Gender and Governance in Rural India*. Oxford University Press.
2. Baviskar, B. (2018). *Panchayati Raj and Women Empowerment*. Sage Publications.
3. Behar, R. (2014). Decentralization and Local Governance. *Economic and Political Weekly*, 49(4).
4. Bhargava, R. (2002). *The Politics of Representation*. New Delhi: Orient Blackswan.
5. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as Policymakers. *Econometrica*, 72(5).
6. Government of India. (1993). *73rd Constitutional Amendment Act*. New Delhi.
7. Government of Rajasthan. (2015–2024). *Panchayati Raj Annual Reports*. Jaipur.
8. Government of Rajasthan. (2020). *Panchayat Election Statistical Digest*. Jaipur.
9. Government of Rajasthan. (2022). *Sujas — Rajasthan Information Centre Publications*. Jaipur.
10. Government of Rajasthan. (2023). *District Statistical Abstract: Jalore*.
11. Gulati, L. (2017). Women's Decision-Making Power. *Indian Journal of Gender Studies*.
12. Jalore Zila Parishad (2020). *Panchayat Election Result Records*.
13. Jain, M. (2021). *Women in Rural Governance*. Jaipur: Rawat Publications.
14. Kumar, A. (2016). Gender, Power and Local Politics. *Social Change Review*.
15. Maheshwari, S. (2020). *Local Governance in India*. Sage Publications.
16. Ministry of Panchayati Raj (2019). *Status Report on Women in PRIs*.
17. Ministry of Rural Development (2021). *MGNREGA Annual Report*.
18. National Commission for Women (2020). *Women Leadership Index in PRIs*.
19. NITI Aayog (2022). *Rural Governance Assessment*.
20. Oza, G. (2018). Participation of Women in Local Government. *Journal of Rural Governance*, 12(3).
21. Paliwal, R. (2017). Dynamics of Power in PRIs. *Kurukshetra Journal*, 65(10).
22. Planning Department, Rajasthan (2021). *District Human Development Report: Jalore*.
23. Rajivika (2023). *SHG Annual Activity Report, Jalore*.
24. Rajasthan Police (2022). *Mahila Suraksha Report*.
25. Rajasthan Women Commission (2019). *Women Status Report*.
26. Sharma, H. (2019). Women's Participation in Panchayats. *Indian Journal of Public Administration*.
27. Singh, A. (2020). *Panchayati Raj and Social Justice*. New Delhi: Concept Publishing.
28. Singh, R. (2021). Impact of Reservation in PRIs. *Journal of Development Studies*, 45(2).
29. SIIRD Rajasthan (2022). *PRI Training Modules*.
30. Sujas (2018–2023). *Rajasthan Governance Monthly Issues*.
31. UNDP (2021). *Women's Empowerment and Local Governance*.
32. UNICEF (2020). *Status of Women and Girls in Rajasthan*.
33. Verma, G. (2016). *Gender Equality in Local Institutions*. Delhi: Springer.
34. World Bank (2022). *Local Governance Strengthening in South Asia*.
35. Yadav, R. (2017). *Women and Social Transformation in Rural India*. Rawat Publications.
36. Zila Parishad Jalore (2020–2023). *Development & Budget Records*.